इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 485] भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 नवम्बर 2011—कार्तिक, 14 शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2011

क्र. एफ. ए-3-14-2010-1-पांच(78).—यत: राज्य सरकार का यह विचार है कि मध्यप्रदेश विक्रय कर (केन्द्रीय) नियम, 1957 में निम्नलिखित संशोधन तत्काल किये जाएं, अर्थात् :—

अतएव, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 13 की उपधारा (3), (4) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विक्रय कर (केन्द्रीय) नियम, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में—

(एक) नियम 8 में,

(क) उपनियम (1-क) में, खण्ड (क) में और खण्ड (च) के परन्तुक में, शब्द ''एक रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''पांच रुपये'' स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (च), में शब्द ''एक रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''पांच रुपये'' स्थापित किए जाएं;

(ग) उपनियम (1-ख) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परन्तु जहां बीस प्ररूप से अधिक के लिए कोई आवेदन किया जाता है, तो बीस से अधिक चाहे गए प्ररूपों के संबंध में शुल्क दो रुपये प्रति प्ररूप होगा.''.

(दो) प्ररूप पांच में, भाग ग में, मद 1 के सामने, कोष्ठक में, अंक "5" के स्थान पर, अंक "6" स्थापित किए जाएं.

(तीन) प्ररूप सात में, कॉलम 8 में, विद्यमान शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"विक्रेता जिसे जारी किया गया है, का नाम और पता टिन (यदि कोई हो) सहित".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2011

क्र. एफ. ए-3-14-2010-1-पांच(78).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए-3-14-2010-1-पांच(78), दिनांक 5 नवम्बर, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 5th November 2011

F-No. A-3-14-2010-1-V(78).—Whereas the State Government considers it necessary that the following amendments in the Madhya Pradesh Sales Tax (Central) Rules, 1957 should be made at once;—

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (3), (4) and (5) of section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Sales Tax (Central) Rules, 1957, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) in rule 8,—

(a) in sub-rule (1-A), in clause (a), for the words "rupee one", the words "rupees five" shall be substituted;

(b) in cluase (f), for the words "rupee one", the words "rupees five" shall be substituted;

(c) in sub-rule (1-B), in clause (b), for the full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that where an application is made for more than twenty forms, the fee in respect of the forms required in excess of twenty, shall be rupees two per form.".

(2) In form V, in part C, against the item 1, in the bracket, for the figure "5", the figure "6" shall be substituted.

(3) in form VII, in column 8, for the existing heading, the following heading shall be substituted, namely :—

"Name and address with TIN (if any), of seller to whom issued.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011